न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
05 / 2025	08.01.2025	24/12/25

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– मुकेश कुमार राठौर आ०श्री शकरलाल उम्र 55 साल, जाति तेली निवासी केथूनी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज)

(वादी)

बनाम

1– रानी फोजदार पत्नी मान सिंह जाति जाट निवासी मकान न0 27 सी जयहिन्द नगर प्रथम बारां रोड कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०

2– विजय आ०श्री केलाशचन्द जाति ब्राहमण निवासी नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी की ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद में खाता नम्बर 88 नया व पुराना 64 पर खसरा नम्बर 576/653 की 5–60 हेक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी न0 1 व 2 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रत्येक का 1/3 1/3 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 पेश है।

2– यह कि उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी न० 1 व 2 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य आपसी मौखिक रूप से मोके पर भूमि का बंटवारा हो रहा है उसके अनुसार मोके पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

3– यह कि वादी अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसमें वादी ने प्रतिवादी नं0 1 व 2 की सहमति से अपने हिस्से भूमि में स्वयं के खर्चे पर एक ट्यूबवेल लगा रखा है जिस पर बिजली का कनेक्शन भी हो रहा है जिसका उपयोग व उपभोग वादी पिछले 25 वर्षो से तक चला आ रहा है। तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता बना रखा है जिससे पक्षकारान ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाते व ले जाते रहे है।

4— यह कि प्रतिवादी नं0 1व 2 उपरोक्त भूमि को लेकर व एक दूसरे के हिस्से में दखल पैदा करने लगे है व विवाद व झगडा होने लग गया है।

5— यह कि प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे में दखल पैदा करते है ओर बंटवारा की कहने पर बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया तथा दिनांक 22—5—2024 को प्रतिवादीगण ने वादी को बिना बंटवारा कराये ही उपरोक्त भूमि में अपने हिस्से को बेचान व खुर्द बुर्द करने की धमकी दी। जबकि प्रतिवादीगण को बिना बंटवारा कराये उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व वादी के हिस्से की भूमि में दखल पैदा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

6— यह कि वादी उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार है। इस कारण वादी के लिये उपरोक्त भूमि का मोके पर काबिज अनुसार विभाजन कराना व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से उक्त अवैध कृत्य करने से रोका जाना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु यह वाद पेश है।

7— यह कि वाद कारण प्रतिवादी द्वारा वादी को बंटवारा करने से इन्कार करने व शीघ्र ही बिना बंटवारा कराये दिनांक १३ 5—202५ को भूमि को खुर्द बुर्द व रहन बेचान करने व वादी के कब्जे काश्त में दखल पैदा करने की धमकी देने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी गण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे

1— कि वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित भूमि ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 576/653 की 5—60 हेक्टर भूमि का वादी एंव प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य मोके पर काबिज अनुसार राजस्व रिकार्ड में विभाजन किया जाकर वादी के 1/3 हिस्से की भूमि को वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने की डिकी पारित की जावे व अलग से लगान कायम किया जावे। तथा वादी को उसकी भूमि पर आने जाने हेतु ट्रेक्टर ट्रोली आदि के लिये रास्ता दर्शाया जावे।

2— कि स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी को ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 576/653 की 5—60 हेक्टर भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे, काश्त करने से नहीं रोके ओर उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को बिना विभाजन कराये खुर्द बुर्द रहन, बेचान तथा अन्तरण नहीं करे।

3— कि प्रतिवादी नं० 3 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे ।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये—

1— नकल जमाबंदी ग्राम पोलाई खुर्द खसरा न0 576/653 संवत् 2076—2079

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा O1R10CPC का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया गया तथा वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया गया। संशोधित टाईटल अनुसार प्रतिवादी क्र0 1 द्वारा इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी क्रम 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमिल लाई जा चुकी है। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किये जाने के कारण तनकीयात कायम नहीं किये गये। वादी की ओर से साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये गये जिन पर प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की गई। प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गई।

पत्रावली बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब दावा हो चुका है। वादी व प्रतिवादी न. 1 के मध्य मौके पर कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिकी फरमाते हुए व तहसीलदार दीगोद से बटवारा रिपोर्ट प्राप्त कर वाद वादी प्राथमिक डिकी किया जावे।

उभयपक्ष को सुना जाकर बाद अवलोकन परिणामतः वाद वादी व प्रतिवादी की सहमति के आधार पर अपने हिस्से अनुसार पृथक पृथक खातेदार दर्ज करवाने के कथन को स्वीकार किया जाकर ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 576/653 की 5–60 हेक्टर भूमि में राजस्व मण्डल के नियम 18–20 के तहत प्रकरण में दिनांक 05.08.2025 को प्राथमिक निर्णय डिकी जारी की जाकर तहसीलदार दीगोद से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाया गया।

प्राथमिक निर्णय अनुसार तहसीलदार दीगोद से पत्रांक भू0अभि0/2025/4322 दिनांक 31.10.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार दीगोद से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तावित किया गयाः–

ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 576/653 की 5–60 हेक्टर भूमि में खातेदारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जो निम्नानुसार हेः–

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा(है0)	दिशा	लगान
1	मुकेश कुमार राठौर पुत्र शंकरलाल जाति तेली निवासी कैथून तह0 लाडपुरा रहन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कैथून	576/653	1.8666	उत्तर पूर्व	28
2	रानी फौजदार पत्नि मानसिंह जाति जाट निवासी म0 न0 27 जयहिन्द नगर बारां रोड कोटा	576/653	1.8666	दक्षिण पूर्व	28

3	विजय पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहमण सा0 देह रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पोलाईकला	576/6 53	1.8666	पश्चिम	28

यह कि वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करते हुए फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन इस पर बहस उभयपक्ष की सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया व इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये प्रतिवादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर पर कोई आपत्ति नही की है। राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेज एवं बहस वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता एवं प्रस्तुत प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण का विभाजन किये जाने योग्य है।

निम्नानुसार विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा(है0)	दिशा	लगान
1	मुकेश कुमार राठौर पुत्र शंकरलाल जाति तेली निवासी कैथून तह0 लाडपुरा रहन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कैथून	576/6 53	1.8666	उत्तर पूर्व	28
2	रानी फौजदार पत्नि मानसिंह जाति जाट निवासी म0 न0 27 जयहिन्द नगर बारां रोड कोटा	576/6 53	1.8666	दक्षिण पूर्व	28
3	विजय पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहमण सा0 देह रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पोलाईकला	576/6 53	1.8666	पश्चिम	28

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उभयत पक्ष में सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

~~~~(कृ०) दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– मुकेश कुमार राठौर आ०श्री शकरलाल उम्र 55 साल, जाति तेली निवासी केथूनी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज)

(वादी)

बनाम

1– रानी फोजदार पत्नी मान सिंह जाति जाट निवासी मकान न0 27 सी जयहिन्द नगर प्रथम बारां रोड कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०

2– विजय आ०श्री केलाशचन्द जाति ब्राहमण निवासी नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी 2–

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी की ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

मिसल नं 33 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण का विभाजन किये जाने योग्य है।

निम्नानुसार विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा(है0)	दिशा	लगान
1	मुकेश कुमार राठौर पुत्र शंकरलाल जाति तेली निवासी कैथून तह0 लाडपुरा रहन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कैथून	576 / 653	1.8666	उत्तर पूर्व	28
2	रानी फौजदार पत्नि मानसिंह जाति जाट निवासी म0 न0 27 जयहिन्द नगर बारां रोड कोटा	576 / 653	1.8666	दक्षिण पूर्व	28
~~~~

न्या(कुअ)डीगोद

3	विजय पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहमण सा0 देह रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पोलाईकला	576/653	1.8666	पश्चिम	28

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उभयत पक्ष में सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 25/12/25 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
थमलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद